राजस्व अपील संख्या 178/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भगवानाराम पुत्र पोलाराम 2. चैनाराम पुत्र पोलाराम जातियान– जाट, निवासी– पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।		1. हरजीराम पुत्र बिडदाराम 2. मगाराम पुत्र बिडदाराम जातियान – जाट, निवासी– पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर। 3. ग्राम पंचायत पांचला खुर्द तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2018 के उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा राजस्व अपील संख्या 02/2016 अनवान हरजीराम वगैराह बनाम भगवानाराम वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सी0पी0 चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,2 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।

निर्णय

दिनांक 17 मार्च, 2023

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत नामा0 संख्या 1528 ग्राम पंचायत पांचला खुर्द के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम पांचला खुर्द के खेत खसरा संख्या 40/1 रकबा 20.19 बीघा जो रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की खातेदारी की है, में दोनों का आधा–आधा हिस्सा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 1/10 वां हिस्सा अपीलार्थीगण के पूर्वज पोलाराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 21.3.2003 को बेचान कर दी गई जिसके फलस्वरूप नामा0 संख्या 1528 स्वीकृत किया गया परन्तु भूमि एक खाते में से कम नहीं कर दोनों ही प्रत्यर्थीगण के हिस्से में बराबर–बराबर रूप से नामा0 स्वीकृत कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील पेश की गई जो दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये लेकिन नोटिस प्रस्तुत नहीं कर पत्रावली को दिनांक 20.6.18 को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा, 2018 कैम्प में ले जाकर अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 1528 को खारिज कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में अपीलार्थीगण के नोटिस तामील करवाये बिना ही तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपील का निस्तारण कर दिया जिससे अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिल सका है। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 1528 की प्रति देखने से यह प्रतीत होता है

कि वह नामा0 बेचाननामें के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत किये गये नामा0 में हिस्से तय नहीं किये जा सकते है। इसलिये नामा0 निरस्तीकरण कार्यवाही गलत रूप से की गई है जबकि हिस्से का विवाद वाद एवं बंटवाडा से ही तय किये जा सकते है, नामा0 की फिसकल कार्यवाही में हिस्से तय नहीं किये जा सकते है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना कोई जॉच किये तथा बिना कोई साक्ष्य लिये अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.18 को निरस्त करते हुए नामा0 संख्या 1528 को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खेत ख0सं0 40/1 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा ग्राम पांचला खुर्द में आई हुई है जो रेस्पो0 की खातेदारी की थी। रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.3.2003 को अपने हिस्से में से 1/10 वा हिस्सा वर्तमान अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पूर्व पोलाराम पुत्र खेताराम को बेचान किया गया जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या 3 ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 संख्या 1528 स्वीकृत किया गया जिसमें उक्त आराजी ख0सं0 40/1 रकबा 20.19 बीघा में 1/2 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज करना था एवं शेष 1/2 हिस्सा में 9/10 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना था एवं 1/10 हिस्सा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष पोलाराम पुत्र खेताराम के नाम इंद्राज कर नामा0 अमल दरामद करना था परन्तु उक्त बेचान अनुसार नामा0 अमल दरामद नहीं कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 व अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष पोलाराम पुत्र खेताराम के नाम बराबर हिस्से में दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत दर्ज हुए नामा0 को निरस्त करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि नामा0 में इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का के द्वारा बेचान अनुसार इन्द्राज नहीं किया और न ही भू0अ0 निरीक्षक द्वारा सही जॉच की गई और ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी कोई जॉच की गई और अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के बराबर बराबर हिस्से में भूमि करते हुए नामा0 खोल दिया गया जबकि ख0सं0 40/1 रकबा 20.19 बीघा भूमि से 1/20 वा हिस्सा यानि 01.19 बीघा भूमि ही अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष पोलाराम के नाम दर्ज करनी थी। उक्त नामा0 स्वीकृत होने की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को दिनांक 8.3.16 को हुई तब उनके द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की, ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें न तो सुनवाई का नोटिस दिया और न ही जॉच करवाई गई और बाले–बाले ही नामा0 स्वीकृत कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य था।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा

रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा अपील में जो तथ्य प्रकट किये है वो विधि के विपरित होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्टस के पूर्वज के पक्ष में निष्पादित हुए पंजीबद्ध बेचाननामे के

राजस्व अपील संख्या 178/2022 अनवान भगवानाराम बनाम हरजीराम वगै

आधार पर नामा0 दर्ज नहीं कर आधा–आधा हिस्सा भूमि का नामा0 दर्ज कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में राजस्व वाद या बंटवाडा की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, उक्त प्रकार की त्रुटि अपील के जरिये ही शुद्धि की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर हम रेस्पोडेन्टस की अपील को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा किये गये बेचाननामें के अनुसार पुनः नामा0 स्वीकार करने के निर्देश अपीलाधीन आदेश में दिये गये है जो उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि पोलाराम पुत्र खेताराम द्वारा श्री मगाराम पुत्र बिड़दाराम से ख0सं0 40/1 रकबा 20.19 बीघा भूमि में से मगाराम के 1/2 हिस्से में से 1/10 हिस्सा यानि 20.19 बीघा का 1/20 हिस्सा ही खरीद किया है व तदुनसार ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना चाहिये था जबकि राजस्व रेकर्ड में ख0सं0 40/1 रकबा 20.19 बीघा में खरीददार पोलाराम को 1/3 हिस्से का मालिक इन्द्राज किया जाना पाया गया है जो कि उचित नहीं है व न्यायसंगत भी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुसार पारित किया गया है व इसमें हस्तक्षेप की गुजांइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17 मार्च, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर